


दिनांक

24/4/25

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी आधीवक्ता अनु। वादी एवं वादी आधीवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवजें लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5.50 PM को चुका ही वादी एवं वादी आधीवक्ता के उपस्थित नहीं आने से जाणहित में पुनः एकबार आवजें लगाई गई। वादी एवं वादी आधीवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी एवं वादी आधीवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा उपलब्ध वाद अन्तर्गत आवज 188 राजमान कारतकारी आधीनिदम को अदम लागवी अदम पैली में जारी किया जाता है। निधि से इवलाल कुमाज गजा। रिक्ती पत्रावासी ही पत्रावली लाल बुगार लेकर कार्तिल दफ्तर ही लया लखर से कम ही।


24/4/25
सहायक क...
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. देवी लाल पिता पोखर बैरवा उम्र वयस्क निवासी केशरपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा व अन्य

वादीगण

बनाम

1. मांगू पिता नारू बैरवा उम्र वयस्क निवासी केशरपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा व अन्य
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या 8/2020 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री किशन लाल कुमावत अनुपस्थित- इस वाद में आज तारीख 24.04.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी /अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा